रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1250]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2016/वैशाख 29, 1938
No. 1250]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2016/VAISAKHA 29 , 1938

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2016

का.आ. 1830(अ).—वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 183, धारा 187 और धारा 190 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित तारीखें नियत करती है--

(i) 30 सितंबर, 2016 को ऐसी तारीख के रूप में, जिसको या जिससे पहले कोई व्यक्ति धारा 183 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा कर सकेगा ;

(ii) 30 नवंबर, 2016 को ऐसी तारीख के रूप में, जिसको या जिससे पहले अप्रकटित आय के संबंध में धारा 184 के अधीन कर और अधिभार संदेय हैं और धारा 185 के अधीन शास्ति संदेय है ;

(iii) 30 सितंबर, 2017 को ऐसी तारीख के रूप में, जिसको या जिससे पहले बेनामीदार, ऐसा व्यक्ति होने के कारण, जो ऐसी आस्ति के लिए प्रतिफल उपलब्ध करता है या उसका विधिक प्रतिनिधि घोषणाकर्ता को अंतरित कर देगा ।

[अधिसूचना सं. 32/2016, फा. सं. 142/8/2016-टीपीएल]

एकता जैन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2016

S.O. 1830(E).—In exercise of the powers conferred by section 183, section 187 andsection 190 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016), the Central Government hereby appoints -

(i) the 30thday of September, 2016 as the date on or before which a person may make a declaration under sub-section (1) of section 183;

(ii) the 30thday of November, 2016 as the date on or before which the tax and surcharge is payable under section 184, and the penalty is payable under section 185 in respect of the undisclosed income;

(iii) the 30th day of September, 2017 as the date on or before which the benamidar shall transfer to the declarant, being the person who provides the consideration for such asset, or his legal representative.

[Notification No. 32/2016,F. No. 142/8/2016-TPL]

EKTA JAIN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2016

आय घोषणा स्कीम नियम, 2016

का.आ. 1831(अ).—वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उक्त अधिनियम के आय घोषणा स्कीम, 2016 से संबंधित अध्याय 9 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय घोषणा स्कीम नियम, 2016 है।

(2) ये 1 जून, 2016 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में है ;

(घ) "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" से धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 34कख के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ङ) "धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों और नियमों में क्रमश: उनके हैं।

3. उचित बाजार मूल्य का अवधारण – (1) आस्तियों के उचित बाजार मूल्य को निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) बुलियन, आभूषण या बहुमूल्य रत्न का मूल्य निम्नलिखित से अधिक होगा,-

(I) उसके अर्जन की लागत ; और

(II) वह कीमत, जो ऐसे बुलियन, आभूषण या बहुमूल्य रत्न की सामान्यतया तब होगी यदि उसका 1 जून, 2016 को घोषणाकर्ता द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से अभिप्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में विक्रय किया जाए ;

(ख) पुरातत्व संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति (जिसे इसमें इसके पश्चात् कलात्मक कृति कहा गया है) का मूल्यांकन निम्नलिखित से अधिक होगा,-

(I) उसके अर्जन की लागत ; और

(II) वह कीमत, जो कलात्मक कृति की सामान्यतया तब होगी यदि उसका 1 जून, 2016 को घोषणाकर्ता द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से अभिप्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में विक्रय किया जाए ;

(ग) शेयरों और प्रतिभूतियों का मूल्य,-

(I) उत्कथित शेयर और प्रतिभूतियां निम्नलिखित से अधिक होंगे,-

(i) उसके अर्जन की लागत ; और

(ii) वह कीमत, जो निम्नलिखित को लेकर अवधारित की जाए,-

(अ) 1 जून, 2016 को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में उत्कथित ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों की न्यूनतम और उच्चतम कीमत का औसत लेकर ; या

(आ) जहां 1 जून, 2016 को ऐसे शेयर और प्रतिभूतियों का किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में कोई व्यापार नहीं हुआ है, वहां किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में 1 जून, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती किसी ऐसी तारीख को, जब किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का व्यापार किया गया था, ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों की न्यूनतम और उच्चतम कीमत का औसत लेकर ;

(II) अउत्कथित साधारण शेयर निम्नलिखित से अधिक होंगे,-

(i) उसके अर्जन की लागत ; और

(ii) ऐसे साधारण शेयरों का 1 जून, 2016 को मूल्य, जो निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाए, अर्थात् :-

अउत्कथित साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य = $\frac{(A+B-L) \times (PV)}{(PE)}$

जहां,

A = तुलन पत्र में सभी आस्तियों का वही मूल्य (बुलियन, आभूषण, बहुमूल्य रत्न, कलात्मक कृति, शेयर, प्रतिभूति और स्थावर संपत्ति से भिन्न) जो निम्नलिखित से घटाकर आता हो,-

(i) संदत्त आयकर, यदि कोई हो, की कोई भी रकम, उसमें आयकर की दावाकृत प्रतिदाय की रकम, यदि कोई हो, को घटाकर ; और

(ii) आस्ति के रूप में दर्शायी गई कोई भी रकम, जिसके अंतर्गत आस्थगित व्यय की ऐसी अक्रमिक अपारण रकम भी है, जो किसी आस्ति के मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है ;

B = तुलन पत्र में सभी आस्तियों का बही मूल्य बुलियन, आभूषण, बहुमूल्य रत्न, कलात्मक कृति, शेयर, प्रतिभूति और स्थावर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, जो इस नियम में उपबंधित रीति में अवधारित किया जाए ;

L = तुलन पत्र में दर्शाए गए दायित्वों का बही मूल्य, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित रकमें नहीं हैं, अर्थात् :--

(i) साधारण शेयरों की बाबत समादत्त पूंजी ;

(ii) अधिमानी शेयरों और साधारण शेयरों पर लाभांशों के संदाय के लिए पृथक् की गई रकम ;

(iii) आरक्षितियां और अधिशेष, जिस भी नाम से ज्ञात हों, चाहे परिणामी अंक नकारात्मक हो, उससे भिन्न जो अवक्षयण हेतु पृथक् किया गया है ;

(iv) संदत्त आयकर की रकम, यदि कोई हो, से भिन्न कराधान के लिए उपबंध का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम, उसमें उसको लागू विधि के अनुसार बही लाभ के संदर्भ में संदेय कर से आधिक्य के विस्तार तक प्रतिदाय के रूप में दावाकृत आयकर की रकम, यदि कोई हो, को घटाकर ;

(v) अभिनिश्चित दायित्वों से भिन्न दायित्वों की पूर्ति के लिए किए गए उपबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी रकम ;

(vi) संचयी अधिमानी शेयरों की बाबत संदेय लाभांशों के बकाया से भिन्न समाश्रित दायित्वों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी रकम ;

PE = समादत्त साधारण शेयर पूंजी की कुल रकम, जो तुलन पत्र में दर्शित है ;

PV = ऐसे साधारण शेयर का समादत्त मूल्य ;

(III) किसी कंपनी में साधारण शेयर से भिन्न अउत्कथित शेयर और प्रतिभूति निम्नलिखित से अधिक होंगे,-

(i) उसके अर्जन की लागत ; और

(ii) वह कीमत, जो शेयर या प्रतिभूति की सामान्यतया तब होगी यदि उसका 1 जून, 2016 को घोषणाकर्ता द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से अभिप्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में विक्रय किया जाए ;

(घ) किसी स्थावर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित से अधिक होगा, अर्थात् :--

(i) उसके अर्जन की लागत ; और

(ii) वह कीमत, जो संपत्ति की सामान्यतया तब होगी यदि उसका 1 जून, 2016 को घोषणाकर्ता द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से अभिप्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में विक्रय किया जाए ;

(ड.) किसी भागीदारी फर्म में या व्यक्तियों के किसी संगम में या किसी सीमित दायित्व भागीदारी में, जिसका कोई व्यक्ति सदस्य है, उसके किसी हित का मूल्य खंड (च) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में अवधारित किया जाएगा ;

(च) 1 जून, 2016 को फर्म, व्यक्तियों का संगम या सीमित दायित्व भागीदारी की शुद्ध आस्ति का सर्वप्रथम अवधारण किया जाएगा और फर्म, व्यक्तियों का संगम या सीमित दायित्व भागीदारी की शुद्ध आस्ति का वह भाग, जो उसकी पूंजी की रकम के बराबर है, उसके भागीदारों या सदस्यों में ऐसे अनुपात में आबंटित किया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा पूंजी का अभिदाय किया गया है और शुद्ध आस्ति का शेष भाग भागीदारों या सदस्यों में, फर्म, संगम या सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन की दशा में आस्तियों के वितरण के लिए भागीदारी या संगम या सीमित दायित्व भागीदारी के करार के अनुसार आबंटित किया जाएगा या ऐसे करार के अभाव में ऐसे अनुपात में आबंटित किया जाएगा, जिसमें भागीदार या सदस्य, लाभों में अंश के हकदार हैं और किसी भागीदार या सदस्य को इस प्रकार आबंटित रकम की कुल राशि को भागीदारी या संगम में उस भागीदार या सदस्य के हित के मूल्य के रूप में समझा जाएगा ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए फर्म, व्यक्तियों का संगम या सीमित दायित्व भागीदारी की शुद्ध आस्ति (A+B-L) होगी, जिसे खंड (ग) के उपखंड (II) में उपबंधित रीति में अवधारित किया जाएगा ;

(छ) किसी अन्य आस्ति का मूल्यांकन निम्नलिखित से अधिक होगा, अर्थात् :--

(I) उसके अर्जन की लागत या विनिधान की गई रकम ; और

(II) वह कीमत, जो आस्ति की सामान्यतया तब होगी यदि उसका 1 जून, 2016 को खुले बाजार में विक्रय किया जाए ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) शेयर या प्रतिभूति के संबंध में, "उत्कथित शेयर या प्रतिभूति" से समय-समय पर नियमितता से किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में उत्कथित शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है, जहां ऐसे शेयरों या प्रतिभूतियों की कोटेशन कारबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए चालू संव्यवहार पर आधारित है ;

(ख) अउत्कथित शेयर या प्रतिभूति के संबंध में, "अउत्कथित शेयर या प्रतिभूति" से ऐसा शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो उत्कथित शेयर या प्रतिभूति नहीं है ;

(ग) किसी कंपनी के संबंध में, "तुलन पत्र" से किसी कंपनी का 31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान तुलन पत्र अभिप्रेत है (जिसके अंतर्गत उससे उपाबद्ध और लेखाओं का भाग बनने वाली टिप्पणियां भी हैं), जिसकी संपरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन नियुक्त किए गए कंपनी के संपरीक्षक द्वारा की गई है और जहां 31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान तुलन पत्र की संपरीक्षा नहीं की गई है, वहां वह तुलन पत्र (जिसके अंतर्गत उससे उपाबद्ध और लेखाओं का भाग बनने वाली टिप्पणियां भी हैं), जिसे कंपनी के शेयर धारकों के वार्षिक साधारण अधिवेशन में अनुमोदित और अंगीकृत किया गया है ।

(2) जहां किसी आस्ति में विनिधान भागत: किसी ऐसी आय से है, जिसे निर्धारण वर्ष 2017-18 के पूर्व कर के लिए निर्धारित किया गया है, वहां उपनियम (1) के अनुसार अवधारित आस्ति के उचित बाजार मूल्य में से ऐसी रकम को उसी अनुपात में घटाया जाएगा, जो 1 जून, 2016 को यथा विद्यमान आस्ति का मूल्य है, जो आस्ति की कुल लागत से निर्धारित आय का है ।

4. आय या किसी आस्ति में विनिधान के रूप में आय की घोषणा

(1) धारा 183 के अधीन आय या किसी आस्ति में विनिधान के रूप में आय की घोषणा प्ररूप-1 में की जाएगी ।

(2) घोषणा निम्नलिखित रूप में दी जाएगी-

(क) अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप से ; या

(ख) इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप से डाटा के पारेषण के माध्यम से ; या

(ग) ऐसे संबंधित प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, जिसकी घोषणाकर्ता पर अधिकारिता है, प्रिंट रूप में ;

(3) प्रधान आयुक्त या आयुक्त उस मास के अंत से, जिसमें धारा 183 के अधीन घोषणा की गई है, पन्द्रह दिन के भीतर घोषणाकर्ता को प्ररूप-2 में अभिस्वीकृति जारी करेगा ।

(4) घोषणाकर्ता द्वारा, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा जारी की गई अभिस्वीकृति के अनुसरण में किए गए कर, अधिभार और शास्ति के संदाय का सबूत ऐसे प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्ररूप-3 में दिया जाएगा ।

(5) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, इस प्रकार घोषित आय की बाबत अधिनियम की धारा 187 के अधीन घोषणाकर्ता द्वारा शास्ति सहित कर, अधिभार के संदाय के सबूत के प्रस्तुत किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर घोषणाकर्ता को प्ररूप-4 में प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ।

(6) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) डाटा के सुरक्षित प्रग्रहण और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में प्ररूप देने के संबंध में समुचित सुरक्षा, प्रलेखीय और सुधार नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण-- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड" से प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट डाटा संरचना और मानकों के अनुसार आय की विवरणी देने वाले व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक सत्यापन के प्रयोजन के लिए सृजित कोड अभिप्रेत है ।

आय घोषणा स्कीम, 2016 की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 के अधीन घोषणा का प्ररूप

आय घोषणा स्कीम नियम, 2016

प्ररूप 1

[नियम 4(1) देखिए]

सेवा में,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त

....

महोदय/महोदया

मैं वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 के अधीन घोषणा करता हूं । मैं आवश्यक विशिष्टियां नीचे दे रहा हूं :--

1. घोषणाकर्ता का नाम ....
2. पता : कार्यालय...

   ....

   ई-मेल..दूरभाष ....

   निवास...

   ....

   ई-मेल..दूरभाष ....

3. स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) ....

(यदि पैन नहीं है, तो कृपया पैन के लिए आवेदन करें और यहां उत्कथित करें)

4. घोषणाकर्ता की प्रास्थिति

   (क) क्या व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, फर्म, कंपनी आदि है, विवरण दें ....

   (ख) क्या निवासी है/अनिवासी है/साधारणतया निवासी नहीं है, विवरण दें ....

5. उन निर्धारण वर्षों से संबंधित ब्यौरे, जिनके लिए घोषणा की गई है :

निर्धारण वर्ष	क्या आय की विवरणी फाइल की गई (हां/नहीं)	यदि स्तंभ (2) का उत्तर हां है, तो विवरणी में दी गई/निर्धारित आय बताएं	निर्धारण अधिकारी (वार्ड/सर्किल) यदि विवरणी कागज में लिखित रूप में दी गई है
(1)	(2)	(3)	(4)

6. अप्रकटित आय का विवरण उपाबंध के अनुसार

7. अप्रकटित आय की घोषणा की कुल रकम ....रु.

8. उस पर संदेय कर (मद 7 के 30% की दर से) ....रु.

9. उस पर संदेय अधिभार (मद 8 के 25% की दर से) ....रु.

10. उस पर संदेय शस्ति (मद 8 के 25% की दर से) ....रु.

11. उपरोक्त मद 8, 9 या 10 की बाबत घोषणा की तारीख को या उससे पहले संदत्त कर, यदि कोई हो (संदाय का सबूत संलग्न करें और नीचे ब्यौरे दें) ....रु.

क्र. सं.	बैंक का बीएसआर कोड	जमा की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्रम संख्यांक	रकम (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

12. संदेय अतिशेष कर ....

<u>सत्यापन</u>

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..
(पूरा नाम, स्पष्ट अक्षरों में) (पिता/पति का नाम)

सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि-

(क) इस घोषणा में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं।

(ख) निर्धारण वर्ष (वर्षों) की बाबत मेरी स्वयं की आय के अतिरिक्त, जिसके लिए घोषणा की गई है, ऐसे अन्य व्यक्तियों की आय, जिसकी बाबत मैं कर से प्रभार्य हूं और मेरे द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित आस्तियों से प्रोद्भूत या उद्भूत आय, जिसके लिए मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अधीन विवरणी देने में असफल हुआ था/जिसे स्कीम के आरंभ से पहले मेरे द्वारा दी गई आय की विवरणी में प्रकट करने में असफल हुआ था/जो अन्यथा निर्धारण से बच गई थीं, को भी इस घोषणा में प्रकट किया गया है ;

(ग) किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की आय को, जिसकी बाबत मैं कर से प्रभार्य नहीं हूं, इस घोषणा में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(घ) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 196 के खंड (क) के उपबंध मुझ पर लागू नहीं होते हैं ;

(ङ.) भारतीय दंड संहिता, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 196 के खंड (ख) के उपबंध मुझ पर लागू नहीं होते हैं ;

(च) अधोहस्ताक्षरकर्ता को विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित नहीं किया गया है ;

(छ) घोषित आय, कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है ;

(ज) घोषित आय, निर्धारण वर्ष के सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए आयकर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है,-

(i) जहां आयकर अधिनियम की धारा 142 या धारा 143 की उपधारा (2) या धारा 148 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन ऐसे निर्धारण वर्ष की बाबत कोई नोटिस प्राप्त हुआ है और निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही लंबित है ;

(ii) जहां किसी पूर्ववर्ष में आयकर अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है या धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण किया गया है और ऐसे पूर्ववर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उक्त अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन कोई नोटिस या ऐसे पूर्ववर्ष के पहले किसी पूर्ववर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उक्त अधिनियम की धारा 153क के अधीन या धारा 153ग के अधीन कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है और ऐसे नोटिस के जारी किए जाने का समय समाप्त नहीं हुआ है।

(झ) बेनामी संपत्ति में विनिधान के रूप में घोषित और बेनामीदार के नाम में विद्यमान अप्रकटित आय को 30 सितंबर, 2017 को या उससे पहले वास्तविक स्वामी के नाम में अंतरित कर दिया जाएगा, जिसमें असफल रहने पर बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 के अधीन उन्मुक्ति उपलब्ध नहीं होगी।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं यह घोषणा...की हैसियत से कर रहा हूं।
(पदनाम)

और यह कि मैं यह घोषणा करने के लिए सक्षम हूं और इसे सत्यापित करता हूं।

....
(हस्ताक्षर)

स्थान.........................
तारीख.....................
*जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप 1 का उपाबंध

अप्रकटित आय का विवरण

अप्रकटित आय और आस्तियों में विनिधान के रूप में घोषित आय का विवरण (समान वर्ग में बहु आस्तियों की दशा में पृथक् पन्ने का उपयोग करें)

I. कुल अप्रकटित आय

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष, जिससे अप्रकटित आय संबंधित है	अप्रकटित आय की रकम (रु0 में)	अप्रकटित आय की प्रकृति
कुल योग (प्ररूप की मद 7 से लिया जाना है)			

II. क्या उपरोक्त (I) में निर्दिष्ट आय का कोई भाग आस्ति में विनिधान के रूप में है | हां | नहीं |

III. यदि उपरोक्त (II) का उत्तर हां है तो आस्तियों में विनिधान के रूप में घोषित अप्रकटित आय का विवरण दें (समान वर्ग में बहु आस्तियों की दशा में पृथक् पन्ने का उपयोग करें)

1. स्थावर संपत्ति (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें)

   (i) संपत्ति की प्रकृति (भूमि/भवन/फ्लैट आदि) ....

   (ii) संपत्ति का पता ....

(iii) नाम, जिसके/जिनके अधीन धारित है ....

(iv) अर्जन की तारीख ....

(v) कुल अर्जन लागत ....

(vi) 01.06.2016 को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा यथा प्राक्कलित मूल्य ....

(vii) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य ....

2. आभूषण (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें)

(क) स्वर्ण

(I) शुद्धता................., भार....................., मूल्य.................................

(II) शुद्धता................., भार....................., मूल्य.................................

(ख) हीरा (1 कैरेट या अधिक)

(I) कैरेट..........., कट..........., रंग..........., शुद्धता............, मूल्य............

(II) कैरेट..........., कट..........., रंग..........., शुद्धता..........., मूल्य............

(ग) हीरा (1 कैरेट से कम) और अन्य बहुमूल्य रत्न मूल्य......................

(घ) अन्य बहुमूल्य धातु मूल्य......................

3. कलात्मक कृति (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें)

(i) कलात्मक कृति की प्रकृति ....

(ii) नाम, जिसके/जिनके अधीन धारित है ....

(iii) अर्जन की तारीख ....

(iv) अर्जन की लागत ....

(v) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा कलाकृति का यथा प्राक्कलित मूल्य ....

(vi) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य ....

4. शेयर और प्रतिभूतियां

(क) उत्कथित शेयर और प्रतिभूतियां [नियम 3(1)(ग)(I)]

(i) प्रतिभूति/शेयर का विवरण

(अ) जारीकर्ता का नाम ....

(आ) प्रतिभूतियों/शेयरों की संख्या ....

(इ) प्रतिभूति/शेयर का प्रकार ....

(ii) मान्यताप्राप्त एक्सचेंज, जहां उत्कथित है ....

(iii) नाम, जिसके/जिनके अधीन धारित है ....

(iv) अर्जन की लागत ....

(v) अर्जन की तारीख/तारीखें ....

(vi) नियम 3(1)(ग)(I)(ii) के अधीन यथा अवधारित मूल्य ....

(vii) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य ....

(ख) अउत्कथित साधारण शेयर [नियम 3(1)(ग)(II)] (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें)

(i) शेयर का विवरण

(अ) जारीकर्ता का नाम ....
(आ) शेयरों की संख्या ....
(इ) शेयर का प्रकार ....

(ii) नाम, जिसके/जिनके अधीन धारित है ....
(iii) अर्जन की लागत ....
(iv) अर्जन की तारीख/तारीखें ....
(v) नियम 3(1)(ग)(II)(ii) के अधीन यथा अवधारित मूल्य ....
(vi) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य ....

(ग) किसी कंपनी में साधारण शेयरों से भिन्न अउत्कथित शेयर और प्रतिभूतियां [नियम 3(1)(ग)(III)] (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें)

(i) शेयर/प्रतिभूति का विवरण

(अ) जारीकर्ता का नाम ....
(आ) प्रतिभूतियों/शेयरों की संख्या ....
(इ) प्रतिभूति/शेयर का प्रकार ....

(ii) नाम, जिसके/जिनके अधीन धारित है ....
(iii) अर्जन की लागत ....
(iv) अर्जन की तारीख/तारीखें ....
(v) नियम 3(1)(ग)(III)(ii) के अधीन यथा अवधारित मूल्य ....
(vi) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य ....

5. कोई अन्य आस्ति

(i) आस्ति का विवरण ....
(ii) नाम, जिसके/जिनके अधीन धारित है ....
(iii) अर्जन/विनिधान की लागत ....
(iv) अर्जन/विनिधान की तारीख ....
(v) नियम 3(1)(छ)(II) के अधीन यथा अवधारित मूल्य ....
(vi) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य ....

6. घोषित समस्त आस्तियों का कुल मूल्य ....

7. आय घोषणा स्कीम नियम, 2016 के नियम 4 के अनुसार कटौती ....
(जहां आस्ति का भाग आयकर अधिनियम के अधीन पहले से निर्धारित आय से अर्जित है)
(प्रत्येक आस्ति की बाबत पृथकत: दिया जाना है)

8. उस निर्धारण वर्ष के सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान, जिसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 142/धारा 142(2)/ धारा 148/ धारा 153क/ धारा 153ग के अधीन नोटिस जारी किया गया है, आस्ति में किए गए विनिधान के मद्दे कटौती ....

9. आस्ति में विनिधान के रूप में घोषित कुल अप्रकटित आय

(6-7-8) ....

IV. (1) क्या पूर्वाक्त (I) में निर्दिष्ट अप्रकटित आय को कभी किसी बैंक खाते में जमा किया गया था

हां / नहीं

(2) यदि हां, तो ऐसे बैंक खातों के ब्यौरे

बैंक का नाम और पता	आईएफएससी कोड	खाता धारक/धारकों के नाम	खाता संख्या	01.06.2016 को खाते में अतिशेष (यदि कोई हो)

....
हस्ताक्षर

....
नाम

स्थान ....
तारीख.............................

टिप्पणियां :

1. यदि संदेय कर, अधिभार और शास्ति की कुल रकम का संदाय 30 नवंबर, 2016 से पहले नहीं किया गया है, तो घोषणा को शून्य समझा जाएगा और उसे कभी भी नहीं किया गया समझा जाएगा।
2. यदि घोषणा व्यपदेशन द्वारा या तथ्यों को छिपाकर की गई है, तो घोषणा को शून्य समझा जाएगा और उसे कभी भी नहीं किया गया समझा जाएगा।
3. यदि दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नक प्रयुक्त किया जा सकेगा।
4. अप्रकटित आय की प्रकृति से संबंधित सारणी के अंतिम स्तंभ में बिन्दु (I) में आय का प्रकार विनिर्दिष्ट करें, अर्थात् गृह संपत्ति से आय, कारबार से आय, वृत्ति से आय, कमीशन से आय, ब्याज से आय, आदि।

आय घोषणा स्कीम, 2016 की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 के अधीन घोषणा की अभिस्वीकृति

आय घोषणा स्कीम नियम, 2016

प्ररूप 2
[नियम 4(3) देखिए]

श्री/श्रीमती/सुश्री...(जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कहा गया है) ने वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 के अधीन घोषणा फाइल की है ;

और उक्त घोषणा...................................को प्राप्त हुई है ;

इसलिए अब सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् मैं स्कीम के अधीन की गई घोषणा की बाबत आपके द्वारा संदेय निम्नलिखित रकम अवधारित करता हूं :

क्रम सं.	**निर्धारण वर्ष**	**प्ररूप 1 में यथा घोषित अप्रकटित आय**	**स्कीम के लिए पात्र अप्रकटित आय**	**संदेय रकम**			**कारण [स्तंभ (3) और (4) में रकम में अंतर की दशा में]**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**			**(6)**
				कर	**अधिभार**	**शास्ति**	
योग							

घोषणाकर्ता को उपरोक्त स्तंभ (5) के अनुसार संदेय रकम का संदाय 30 नवंबर, 2016 को या उससे पहले करने का निदेश दिया जाता है ।

30 नवंबर, 2016 तक संदेय रकम का संदाय नहीं करने की दशा में प्ररूप-1 के अधीन घोषणा को शून्य समझा जाएगा और उसे कभी भी नहीं किया गया समझा जाएगा ।

....

पदाभिहित प्राधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और मुहर

स्थान ....

तारीख.............................

आय घोषणा स्कीम, 2016 की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 187 की उपधारा (1) के अधीन संदाय की सूचना

आय घोषणा स्कीम नियम, 2016

प्ररूप 3

[नियम 4(4) देखिए]

सेवा में,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त

....

महोदय/महोदया

प्ररूप-2 में प्रमाणपत्र फा.सं..................तारीख................द्वारा आपसे प्राप्त अभिस्वीकृति के अनुसरण में किए गए संदाय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	बैंक का बीएसआर कोड	जमा की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्रम संख्यांक	रकम (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

पूर्वोक्त ब्यौरे के अनुसार संदाय का सबूत संलग्न करें ।

स्थान.................
तारीख.................

....
हस्ताक्षर

....
पदनाम

....
पता

....
पैन (स्थायी लेखा संख्यांक)

आय घोषणा स्कीम, 2016 की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 के अधीन घोषणा का प्रमाणपत्र

आय घोषणा स्कीम नियम, 2016

प्ररूप 4
[नियम 4(5) देखिए]

आयकर प्रधान आयुक्त/आयुक्त का कार्यालय
....
....

यह अभिस्वीकृति की जाती है कि निम्नलिखित की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 के अधीन घोषणा स्वीकार की गई है :

1) घोषणाकर्ता का नाम और पता ....
....
....

2) पुत्र/पुत्री/पत्नी ....

3) पैन (स्थायी लेखा संख्यांक) ....

4) रसीद सं0 और घोषणा फाइल करने की तारीख ....

5) प्ररूप -2 में जारी अभिस्वीकृति के अनुसार घोषणा के ब्यौरे :

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	घोषित और स्वीकृत अप्रकटित आय की रकम	जहां घोषित अप्रकटित आय, आस्ति में विनिधान के रूप में है, वहां आस्ति का विवरण

6) घोषित और स्वीकृत अप्रकटित आय पर संदेय कर ....रु.
7) घोषित और स्वीकृत अप्रकटित आय पर संदेय अधिभार ....रु.
8) घोषित और स्वीकृत अप्रकटित आय पर संदेय शास्ति ....रु.
9) संदेय कुल रकम (6) + (7) + (8) ....रु.
10) संदत्त कर के ब्यौरे

क्र. सं.	बैंक का बीएसआर कोड	जमा की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्रम संख्यांक	रकम (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)				
(ii)				

11) घोषणाकर्ता 30.09.2017 को या उससे पहले वास्तविक स्वामी के नाम में बेनामी संपत्ति के अंतरण का सबूत देगा, जिसमें असफल रहने पर बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 से उन्मुक्ति उपलब्ध नहीं होगी ।

तारीख.........................

....
(आयकर प्रधान आयुक्त/आयुक्त)

टिप्पणी : कोई भी प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक संदेय कर, अधिभार और शास्ति की कुल रकम का संदाय नहीं कर दिया गया है ।

[अधिसूचना सं. 33/2016, फा. सं.142/8/2016-टीपीएल]
एकता जैन, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2016

The Income Declaration Scheme Rules, 2016

S.O. 1831(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 199 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016), the Central Board of Direct Taxes, subject to the control of the Central Government hereby makes the following rules for carrying out the provisions of Chapter IX of the said Act relating to the Income Declaration Scheme, 2016 namely :—

1. Short title and commencement.

(1) These rules may be called the Income Declaration Scheme Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the 1st day of June, 2016.

2. Definitions.

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
(a) "Act" means the Finance Act, 2016 (28 of 2016);
(b) "Form" means a form appended to these rules;
(c) "recognised stock exchange" shall have the same meaning as assigned to it in clause (f) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(d) "registeredvaluer" means a person registered as a valuer under section 34AB of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(e) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the rules made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts and rules.

3. Determination of fair market value

(1) The fair market value of the asset shall be determined in the following manner, namely:—

(*a*) the value of bullion, jewellery or precious stone shall be the higher of—

(I) its cost of acquisition; and

(II) the price such bullion, jewellery or precious stone shall ordinarily fetch if sold in the open market as on the 1st day of June, 2016, on the basis of the valuation report obtained by the declarant from a registered valuer;

(*b*) the valuation of archaeological collections, drawings, paintings, sculptures or any work of art (hereinafter referred to as artistic work) shall be the higher of—

(I) its cost of acquisition; and

(II) the price such artistic work shall ordinarily fetch if sold in the open market as on the 1st day of June, 2016 on the basis of the valuation report obtained by the declarant from a registered valuer;

(*c*) the value of shares and securities of—

(I) quoted share and securities shall be the higher of—

(*i*) its cost of acquisition; and

(*ii*) the price determined by taking—

(A) the average of the lowest and highest price of such shares and securities quoted on a recognised stock exchange as on the 1st day of June, 2016; or

(B) the average of the lowest and highest price of such shares and securities on a recognised stock exchange on a date immediately preceding the 1st day of June, 2016 when such shares and securities were traded on a recognised stock exchange, where on the 1st day of June, 2016 there is no trading in such shares and securities on a recognised stock exchange;

(II) unquoted equity shares shall be the higher of—

(*i*) its cost of acquisition; and

(*ii*) the value, on the 1st day of June, 2016, of such equity shares as determined in the following manner, namely:—

$$\text{the fair market value of unquoted equity shares} = \frac{(A+B - L) \times (PV),}{(PE)}$$

where,

A = book value of all the assets in the balance sheet (other than bullion, jewellery, precious stone, artistic work, shares, securities and immovable property) as reduced by,- (i) any amount of income-tax paid, if any, less the amount of income-tax refund claimed, if any, and (ii) any amount shown as asset including the unamortised amount of deferred expenditure which does not represent the value of any asset;

B= fair market value of bullion, jewellery, precious stone, artistic work, shares, securities and immovable property as determined in the manner provided in this rule;

L= book value of liabilities shown in the balance sheet, but not including the following amounts, namely:—

(*i*) the paid-up capital in respect of equity shares;

(*ii*) the amount set apart for payment of dividends on preference shares and equity shares;

(*iii*) reserves and surplus, by whatever name called, even if the resulting figure is negative, other than those set apart towards depreciation;

(*iv*) any amount representing provision for taxation, other than amount of income-tax paid, if any, less the amount of income-tax claimed as refund, if any, to the extent of the excess over the tax payable with reference to the book profits in accordance with the law applicable thereto;

(*v*) any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities;

(*vi*) any amount representing contingent liabilities other than arrears of dividends payable in respect of cumulative preference shares;

PE = total amount of paid up equity share capital as shown in the balance-sheet;

PV= the paid up value of such equity share;

(III) unquoted share and security other than equity share in a company shall be the higher of,—

(*i*) its cost of acquisition; and

(*ii*) the price that the share or security shall ordinarily fetch if sold in the open market on the 1st day of June, 2016, , on the basis of the valuation report obtained by the declarant from a registered valuer;

(*d*) the fair market value of an immovable property shall be higher of—

(I) its cost of acquisition; and

(II) the price that the property shall ordinarily fetch if sold in the open market on the 1st day of June, 2016 on the basis of the valuation report obtained by the declarant from a registered valuer;

(e) value of an interest of a person in a partnership firm or in an association of persons or a limited liability partnership of which he is a member shall be determined in the manner as specified in clause (*f*);

(f) The net asset of the firm, association of persons or limited liability partnership on the 1st day of June, 2016 shall first be determined and the portion of the net asset of the firm, association of persons or limited liability partnership as is equal to the amount of its capital shall be allocated among its partners or members in the proportion in which capital has been contributed by them and the residue of the net asset shall be allocated among the partners or members in accordance with the agreement of partnership or association or limited liability partnership for distribution of assets in the event of dissolution of the firm, association or limited liability partnership, or, in the absence of such agreement, in the proportion in which the partners or members are entitled to share profits and the sum total of the amount so allocated to a partner or member shall be treated as the value of the interest of that partner or member in the partnership or association.

Explanation.— For the purposes of this clause the net asset of the firm, association of persons or limited liability partnership shall be (A + B - L), which shall be determined in the manner provided in sub-clause (*II*) of clause (*c*);

(g) valuation of any other asset shall be higher of—

(I) its cost of acquisition or the amount invested; and

(II) the price that the asset would fetch if sold in the open market on the 1st day of June, 2016.

Explanation— For the purposes of this rule,—

(a) "quoted share or security" in relation to share or security means a share or security quoted on any recognized stock exchange with regularity from time to time, where the quotations of such shares or securities are based on current transaction made in the ordinary course of business;

(b) "unquoted share and security" in relation to share or security means share or security which is not a quoted share or security;

(c) "balance sheet" in relation to any company means the balance sheet of such company (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) as on 31st day of March, 2016, which has been audited by the auditor of the company appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and where the balance sheet as on 31st day of March, 2016 is not audited, the balance sheet (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) which has been approved and adopted in the annual general meeting of the shareholders of the company.

(2) Where investment in any asset is partly from an income which has been assessed to tax prior to assessment year 2017-18, the fair market value of the asset determined in accordance with sub-rule (1) shall be reduced by an amount

which bears to the value of the asset as on the 1st day of June, 2016, the same proportion as the assessed income bears to the total cost of the asset.

4. Declaration of income or income in the form of investment in any asset.

(1) A declaration of income or income in the form of investment in any asset under section 183 shall be made in Form-1.

(2) The declaration shall be furnished:-

(a) electronically under digital signature; or

(b) through transmission of data in the form electronically under electronic verification code; or

(c) in print form, to the concerned Principal Commissioner or the Commissioner who has the jurisdiction over the declarant.

(3) The Principal Commissioner or the Commissioner shall issue an acknowledgement in Form-2 to the declarant within fifteen days from the end of the month in which the declaration under section 183 has been furnished.

(4) The proof of payment of tax, surcharge and penalty made pursuant to the acknowledgement issued by the Principal Commissioner or the Commissioner shall be furnished by the declarant to the such Principal Commissioner or Commissioner in Form 3.

(5) The Principal Commissioner or the Commissioner shall grant a certificate in Form-4 to the declarant within fifteen days of the submission of proof of payment of tax, surcharge along with penalty by the declarant under section 187 of the Act in respect of the income so declared.

(6) The Principal Director-General of Income-tax (Systems) or Director-General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing the form in the manner specified in sub-rule(2).

Explanation.—For the purposes of this rule "electronic verification code" means a code generated for the purpose of electronic verification of the person furnishing the return of income as per the data structure and standards specified by Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems).

FORM OF DECLARATION UNDER SECTION 183 OF THE FINANCE ACT, 2016, IN RESPECT OF THE INCOME DECLARATION SCHEME, 2016

THE INCOME DECLARATION SCHEME RULES, 2016

Form 1

[See rule 4(1)]

To,

The Principal Commissioner/Commissioner

……………………………………

Sir/ Madam,

I hereby make a declaration under section 183of the Finance Act, 2016. I give below the necessary particulars:–

1. Name of the declarant ……………….………………………………………………………………………
2. Address: Office………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………….………………..…

   E-mail………………………………………………..Telephone No…………………………..

   Residence……………………………………………………………………………..........................

   ……………………………………………………………………………………………….………

   ……

   E-mail………………………………………………..Telephone No………..………………...
3. Permanent Account Number (PAN) ……….………………………

   (In case PAN is not held, please apply for PAN and quote here)
4. Status of the declarant

   (a) Whether individual, HUF, firm, company etc. ……………………………….

(b) Whether Resident/Non-Resident/Not ordinarily resident ………………………………

5. Details relating to assessment years for which the declaration is being made:

Assessment year	Whether return of income filed (Yes/No)	If column (2) is Yes, furnish the income returned/ assessed	Assessing Officer (ward/ circle) if return filed in paper form
(1)	(2)	(3)	(4)

6. Statement of undisclosed income as per Annexure

7. Total amount of declaration of undisclosed income Rs………………………..

8. Tax payable thereon (@ 30% of item 7) Rs………………..……..

9. Surcharge payable thereon (@ 25% of item 8) Rs……………………..…...

10. Penalty payable thereon (@25% of item 8) Rs..………………………

11. Tax paid, if any, on or before the date of declaration in respect of items 8, 9 or 10 above Rs.………………………… (Attach proof of payment and provide details below)

Sl	BSR Code of Bank	Date of Deposit *(DD/MM/YYYY)*	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

12. Balance tax payable ……………………………………….

VERIFICATION

I ……………………………………………….. son/daughter/wife of Shri……………………………………………..
(Full name in block letters) (name of father/husband)
herebysolemnly declare that-

(a) the information given in this declaration is correct and complete to the best of my knowledge and belief;

(b) in addition to my own income in respect of the assessment year(s) for which the declaration is made, income of other persons in respect of which I am chargeable to tax and income accruing or arising from the assets held by me through any other person for which I had failed to furnish a return under section 139 of the Income-tax Act, 1961/which I had failed to disclose in a return of income furnished by me before the commencement of the Scheme/which has otherwise escaped assessment, has also been disclosed in this declaration;

(c) the income of any other person in respect of which I am not chargeable to tax has not been included in this declaration;

(d) the provisions of clause (a) of section 196 of the Finance Act, 2016 in respect of Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 are not applicable to me;

(e) the provision clause (b) of section 196 of the Finance Act, 2016 in respect of Indian Penal Code, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Prevention of Corruption Act, 1988 are not applicable to me;

(f) the undersigned has not been notified under section 3 of the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Act, 1992;

(g) the income declared is not chargeable to tax under the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015;

(h) the income declared is not chargeable to tax under the Income-tax Act for any previous year relevant to assessment year,-

(i) where a notice under section 142 or sub-section (*2*) of section 143 or section 148 or section 153A or section 153C of the Income-tax Act has been received in respect of such assessment year and the proceeding is pending before the Assessing Officer;

(ii) where a search has been conducted under section 132 or requisition has been made under section 132A or a survey has been carried out under section 133A of the Income-tax Act in a previous year and a notice under sub-section (*2*) of section 143 of the said Act for the assessment year relevant to such previous year or a notice under section 153A or under section 153C of the said Act for an assessment year relevant to any previous year prior to such previous year has not been received and the time for issuance of such notice has not expired.

(i) theundisclosed income declared in the form of investment in benami property and existing in the name of benamidarshall be transferred in the name of the real owner on or before 30th September, 2017, failing which immunity under Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 shall not be available.

I further declare that I am making this declaration in my capacity as……………………………………………….
(Designation)

and that I am competent to make this declaration and verify it.

…………………………………………………..
(Signature)

Place………………….
Date…………………..
*Score out whichever is not applicable.

Annexure to Form 1

STATEMENT OF UNDISCLOSED INCOME

Description of undisclosed income and income declared in the form of investment in assets(use separate sheet in case of multiple assets in the same category)

I. Total undisclosed income

S.No.	Assessment year to which the undisclosed income pertains	Amount of undisclosed income (inRs.)	Nature of undisclosed income
Total(to be taken to item 7 of the Form)			

II. Whether any part of income referred in (I) above is in form of investment in asset | Yes | No |

III. If reply to (II) above is Yes, furnish description of undisclosed income declared in the form of investment in assets (*Use separate sheet in case of multiple assets in the same category)*

1. Immovable property (attach valuation report)

(i) Nature of property (land/building/flat etc.) ________________
(ii) Address of the property ________________
(iii) Name(s) under which held ________________
(iv) Date of acquisition ________________
(v) Total acquisition cost ________________
(vi) Value as estimated by the registered valuer on 1st June, 2016 ________________
(vii) Fair Market value as per Rule 3 ________________

2. Jewellery (attach valuation report)

(a) Gold
(I) Purity ________, Weight _________, Value ____________
(II) Purity ________, Weight _________, Value ____________

(b) Diamond (1 carat or more)

(I) Carat ________, Cut _______, Colour ______, Clarity_______, Value ________

(II) Carat ________, Cut _______, Colour ______, Clarity_______, Value ________

(c) Diamond (less than 1 carat) and other precious stones Value __________

(d) Other precious metals Value__________

3. Artistic work (attach valuation report)

(i) Nature of artistic work __________________

(ii) Name(s) under which held __________________

(iii) Date of acquisition ________________

(iv) Cost of acquisition __________________

(v) Value of artistic work as estimated by the registered valuer __________________

(vi) Fair Market value as per Rule 3 __________________

4. Shares and securities

(a) Quoted shares and securities [Rule 3(1)(c)(I)]

(i) Description of security/share

(A) Name of issuer ___________________

(B) Number of securities/shares ___________________

(C) Type of security/share ___________________

(ii) Recognised exchange where quoted ___________________

(iii) Name(s) under which held ___________________

(iv) Cost of acquisition ___________________

(v) Date(s) of acquisition ___________________

(vi) Value as determined under Rule 3(1)(c)(I)(ii) ___________________

(vii) Fair Market value as per Rule 3 ___________________

(b) Unquoted equity share [Rule 3(1)(c)(II)] (attach valuation report)

(i) Description of share

(A) Name of issuer ___________________

(B) Number of shares ___________________

(C) Type of share ___________________

(ii) Name(s) under which held ___________________

(iii) Cost of acquisition ___________________

(iv) Date(s) of acquisition ___________________

(v) Value as determined under Rule 3(1)(c)(II)(ii) ___________________

(vi) Fair Market value as per Rule 3 ___________________

(c) Unquoted shares and securities other than equity shares in a company [Rule 3(1)(c)(III)] (attach valuation report)

(i) Description of share/security

(A) Name of issuer ___________________

(B) Number of securities/shares ___________________

(C) Type of security/share ___________________

(ii) Name(s) under which held ___________________

(iii) Cost of acquisition ___________________

(iv) Date(s) of acquisition ___________________
(v) Value as determined under Rule 3(1)(c)(III)(ii) ___________________
(vi) Fair Market value as per Rule 3 ___________________

5. Any other asset

(i) Description of asset ___________________
(ii) Name(s) under which held ___________________
(iii) Cost of acquisition/ investment ___________________
(iv) Date of acquisition/ investment ___________________
(v) Value as determined under Rule 3(1)(g)(II) ___________________
(vi) Fair market value as per Rule 3 ___________________

6. Total value of all the assets declared ___________________
7. Deduction as per rule 4 of the Income Declaration Scheme Rules, 2016 ___________________
(*where part of asset acquired from income already assessed under the Income-tax Act) (to be provided in respect of each asset separately*)
8. Deduction on account of investment made in the asset during the previous year relevant to the assessment year for which a notice u/s 142/143(2)/148/153A/153C of the Income-tax Act is issued ___________________

9. Total undisclosed income declaredin the form of investment in asset (6-7-8) ____________________

IV. (1) Whether the undisclosed income referred in (I) above had ever been credited in a bank account

Yes	No

(2) If Yes, details of such bank accounts

Name and address of Bank	IFSC Code	Account holder name(s)	Account Number	Balance in the Account as on 01.06.2016 (if any)

…………………………………………………….
.
(Signature)

…………………………………………………….
.
(Name)

Place………………….

Date………………….

NOTES:

1. If the total amount of tax, surcharge and penalty payable is not paid before 30th November 2016, the declaration will be treated as void and shall be deemed never to have been made.
2. If the declaration is made by misrepresentation or suppression of facts it shall be void and shall be deemed never to have been made.
3. If space provided is insufficient, separate enclosure may be used for the purpose.
4. In the last column of Table at Point (I) relating to nature of undisclosed income, specify the type of income viz. house property income, business income, professional income, commission income, interest income etc.

ACKNOWLEDGEMENT OF DECLARATION UNDER SECTION 183 OF THE FINANCE ACT, 2016 IN RESPECT OF THE INCOME DECLARATION SCHEME, 2016

THE INCOME DECLARATION SCHEME RULES, 2016

Form 2
[See rule 4(3)]

Whereas Mr./Mrs./M/s .... (hereinafter referred to as the declarant) has filed a declaration under section 183 of the Finance Act, 2016;

And whereas the said declaration has been received on ....;

Now, therefore after consideration of relevant material, I hereby determine the following amount payable by youwith respect to the declaration made under the scheme:

Sl. No.	**Assessment year**	**Undisclosed Income as declared in Form 1**	**Undisclosed income eligible for the scheme**	**Amount payable**			**Reasons (in case of difference in amounts in Column (3) and (4)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
				Tax	**Surcharge**	**Penalty**	
	Total						

The declarant is hereby directed to make the payment of sum payable as per column (5) above on or before the 30th day of November, 2016.

In case of non-payment of amount payable upto the 30th day of November, 2016, the declaration under Form-1 shall be treated as void and shall be deemed never to have been made.

Place ....
Date ....

………...
Name, signature and seal of Designated Authority

INTIMATION OF PAYMENT UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 187 OF THE FINANCE ACT, 2016 IN RESPECT OF THE INCOME DECLARATION SCHEME, 2016

THE INCOME DECLARATION SCHEME RULES, 2016

Form 3
[See rule 4(4)]

To,

The Principal Commissioner/Commissioner

……………………………………

Sir/Madam,

Pursuant to the acknowledgement received from you in Form-2 vide certificate F.No._________ dated _______, the detail of payments made are as under:

Sl	**BSR Code of Bank**	**Date of Deposit *(DD/MM/YYYY)***	**Serial Number of Challan**	**Amount (Rs)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**

Attach proof of payment as detailed above

Place: …………….. ……………………..

Signature

Date: …………….. ……………………

Designation

……..……………….

Address

……………………………

PAN

CERTIFICATE OF DECLARATION UNDER SECTION 183 OF THE FINANCE ACT, 2016 IN RESPECT OF THE INCOME DECLARATION SCHEME, 2016

THE INCOME DECLARATION SCHEME RULES, 2016

Form 4
[See rule 4(5)]

Office of the Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax,

………………………………

………………………………

This is to acknowledge that a declaration under section 183of the Finance Act, 2016 has been accepted in respect of the following:

1) Name and address of the declarant: …….……………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

2) Son/Daughter/Wife of ………………………………………………………………...

3) PAN …………………………………………………………………….

4) Receipt No. and date of filing the Declaration: ………………………………………………………..

5) Details of Declaration as per the acknowledgment issued in Form-2

S.No.	**Assessment year**	**Amount of undisclosed income declared and accepted**	**Description of assets where undisclosed income declared in the form of investment in asset**

6) Tax payable on the undisclosed income declared & accepted Rs. ………………………………………………

7) Surcharge payable on the undisclosed income declared & accepted Rs. ………………………………………………

8) Penalty payable on the undisclosed income declared & accepted Rs. ………………………………………………

9) Total Amount payable (6) + (7) + (8) Rs. ……...……………………………………….

10) Details of tax paid

Sl	**BSR Code of Bank**	**Date of Deposit *(DD/MM/YYYY)***	**Serial Number of Challan**	**Amount (Rs)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
i				
ii				

11) The declarant shall furnish a proof of transfer of benami property in the name of the real owner on or before 30.09.2017 failing which the immunity from Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 shall not be available.

Date: ……………………

………………………………..
(Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax)

NOTE: No certificate will be issued unless the total amount of tax, surcharge and penalty payable has been paid

[Notification No. 33/2016,F. No.142/8/2016-TPL]

EKTA JAIN, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.